न्यूज़ टुडे

रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defense Acquisition Council: DAC) ने पहली बार, iDEX के तहत खरीद को मंजूरी दी है

- पहली बार, **रक्षा अधिग्रहण परिषद** ने iDEX स्टार्ट–अप्स और MSMEs से **380 करोड़ रुपये की 14 वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी** है। इन वस्तुओं की खरीद भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा की जाएगी।
- **iDEX (इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस)** को वर्ष 2018 में आरंभ किया गया था।
  - इसका उद्देश्य **सशस्त्र बलों में अत्याधुनिक और डिसरप्टिव प्रौद्योगिकियों** को जल्द–से–जल्द शामिल करना है।
  - इन उद्देश्यों की प्राप्ति **स्टार्ट–अप्स इकोसिस्टम** पर जोर देकर तथा **आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण** सुनिश्चित करके की जाएगी।
  - iDEX को **"रक्षा नवाचार संगठन (Defence Innovation Organisation: DIO)"** द्वारा वित्त–पोषित और प्रबंधित किया जाता है।
    - DIO का गठन उपर्युक्त उद्देश्य के लिए **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर–लाभकारी (नॉट फॉर प्रॉफिट) संस्था के रूप में** किया गया है।
- "आत्मनिर्भर भारत" को बढ़ावा देने के लिए, इन प्रस्तावों को **"खरीद (भारतीय–IDDM) {Buy (Indian–IDDM)}"** श्रेणी के तहत स्वीकृत किया गया है। यहाँ **IDDM** का आशय स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और विनिर्मित (Indigenously Designed, Developed and Manufactured) से है।
  - **"खरीद (भारतीय–IDDM)"** श्रेणी, सबसे पहले **रक्षा खरीद प्रक्रिया, 2016** में शामिल की गयी थी। इसके बाद, वर्ष **2020 में रक्षा खरीद प्रक्रिया को अपडेट किया गया** था।
- **रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) के बारे में:**
  - यह तीनों सैन्य बलों (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) तथा भारतीय तटरक्षक बल के लिए **नई नीतियों और पूंजीगत अधिग्रहण पर निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है।**
  - यह **रक्षा मंत्रालय** के अधीन है।
  - **रक्षा मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष** हैं।

हथियारों की खरीद के लिए अन्य सरकारी पहल:

- **स्वदेशीकरण पोर्टल – सृजन (SRIJAN)** शुरू किया गया है। यह MSMEs/स्टार्ट–अप्स/उद्योग को विकास सहायता प्रदान करता है।
- उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में **रक्षा औद्योगिक गलियारों (Defence Industrial Corridors)** को मंजूरी दी गयी है।
- **रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ (Defence Investor Cell):** यह निवेश के अवसरों, प्रक्रियाओं और नियामकीय आवश्यकताओं से संबंधित प्रश्नों को देखता है और उनका समाधान उपलब्ध कराता है। साथ ही, यह अन्य जानकारियां भी प्रदान करता है।
- रक्षा क्षेत्र में **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** को मंजूरी दी गयी है।

भारत में मातृ मृत्यु अनुपात (Maternal Mortality Ratio: MMR) में 10 अंकों की गिरावट दर्ज की गयी

- **भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी एक विशेष बुलेटिन** के अनुसार, मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) के मामले में भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
  - भारत में **MMR वर्ष 2016–18 के 113 से घटकर वर्ष 2017–19 में 103** हो गया है। यह **10 अंकों की महत्वपूर्ण गिरावट दर्शाता है।**
- **इस विशेष बुलेटिन के कुछ मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र:**
  - **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में वर्ष 2020 तक** प्रत्येक **एक लाख जीवित जन्मों पर MMR को 100 पर लाने का लक्ष्य** निर्धारित किया गया था। ऐसे में MMR में आई लगातार गिरावट के चलते भारत इस लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब पहुँच गया है। इसके आलावा, सतत विकास लक्ष्य (SDG) में वर्ष 2030 तक **MMR को कम–से–कम 70 पर लाने का लक्ष्य** निर्धारित किया गया है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि भारत इस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है।
  - **केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और झारखंड ने पहले ही SDG द्वारा निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया है।**
  - कुछ राज्यों में तो MMR, 30 से भी कम है।
  - हालांकि, **पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में MMR** में वृद्धि चिंता का विषय बनकर उभरी है।
- **मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:**
  - कम उम्र में गर्भधारण (15–19 वर्ष की आयु में),
  - गंभीर रक्तस्राव,
  - संक्रमण,
  - गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप (high blood pressure),
  - एनीमिया व प्रसव से जुड़ी जटिलताएं,
  - असुरक्षित गर्भपात,
  - आवश्यक चिकित्सा देखभाल की कमी, आदि।
- **MMR को कम करने के लिए उठाए गए कदम:**
  - जननी सुरक्षा योजना (JSY) संचालित की जा रही है।
  - जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) चलाया जा रहा है।
  - प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) शुरू किया गया है।
  - लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव (यानी लक्ष्य/LaQshya) नामक एक पहल शुरू की गयी है।

- **मातृ मृत्यु अनुपात:** एक **निश्चित समयावधि में हुए प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों** पर उसी समयावधि के दौरान **मातृ मृत्यु की संख्या** को **मातृ मृत्यु अनुपात (MMR)** कहा जाता है।
  - मातृ मृत्यु दर, किसी क्षेत्र में **महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य की एक माप** है।

केंद्र ने शुरू की जल पुनः उपयोग करने की परियोजना

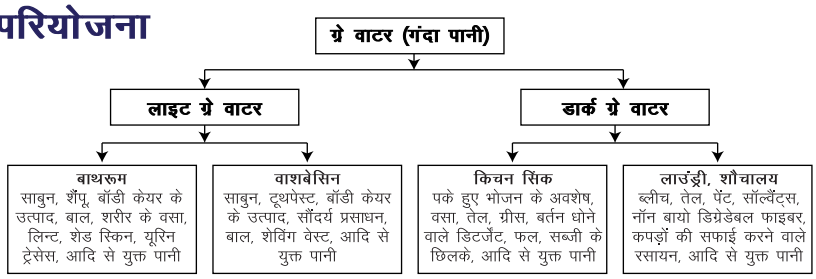

- विश्व जल दिवस के अवसर पर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने **'सुजलाम 2.0'** की शुरुआत की है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों से निकलने वाले **गंदे पानी (grey water) को रि–साइकिल कर उसके उपयोग पर जोर** दिया जाएगा।
  - केवल ग्रामीण भारत में रोजाना **31,000 मिलियन टन** गंदा पानी (ग्रे वाटर) खुले में बह जाता है। अगर पूरे देश से इस पानी को इकठ्ठा कर लिया जाए तो यह सूखे की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त होगा।
- **विश्व जल दिवस के बारे में:**
  - वर्ष 1993 से **प्रत्येक वर्ष 22 मार्च** को विश्व जल दिवस आयोजित किया जाता है। यह ताजे जल के महत्व पर केंद्रित है।
  - वर्ष 2022 की थीम है– **"ग्राउंड वाटर, मेकिंग द इनविज़िबल विज़िबल" (अदृश्य भूजल को दृश्य बनाना)।**
- ग्रे वाटर को अपशिष्ट जल (वेस्ट वाटर) के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें **स्नान, शावर, हैंड बेसिन, वाशिंग मशीन, डिशवॉशर और रसोई के सिंक से निकलने वाला गंदा जल शामिल होता है।** इसमें शौचालयों से निकले जल को शामिल नहीं किया जाता है।
  - भारत में ग्रामीण घरों में 70 प्रतिशत से अधिक ताजा जल, ग्रे वाटर में तब्दील हो जाता है।
- **ग्रे वाटर के पुनर्चक्रण का महत्व:**
  - इससे पर्यावरण को होने वाले **संभावित नुकसान** को रोकने में सहायता मिलती है।
  - यह ताजे जल की मांग को कम कर सकता है।
  - **यह एक विश्वसनीय जल संसाधन** है। वर्षा जल संचयन (rainwater harvesting) के विपरीत, ग्रे वाटर **अनिश्चित और परिवर्तनशील वर्षा पर निर्भर नहीं है।**
  - इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की उच्च मात्रा होती है। सिंचाई कार्यों में उपयोग किए जाने पर यह **पोषक तत्वों या उर्वरक का एक अच्छा स्रोत** बन सकता है।

IQAir की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक देश WHO द्वारा PM2.5 के लिए निर्धारित नई वार्षिक सीमा को पार कर गया है

- इस **रिपोर्ट के निष्कर्ष**, सभी देशों के **पार्टिकुलेट मैटर 2.5 (यानी PM2.5) के वार्षिक औसत** पर आधारित हैं।
  - **2.5 माइक्रोन से कम व्यास वाले वायुजनित (एयरबॉर्न) कणों को PM2.5 कहा जाता है।**
- **इस रिपोर्ट के कुछ मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र:**
  - वर्ष 2021 में **किसी भी देश** ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा परिभाषित व अपडेटेड वायु गुणवत्ता दिशा–निर्देशों (Air Quality Guidelines: AQG) का पालन नहीं किया है।
  - अध्ययन में शामिल किए गए 6,475 शहरों में से **केवल 222 शहरों में PM2.5 का स्तर** AQG में निर्धारित की गई सीमा के नीचे पाया गया।
- **इस रिपोर्ट में भारत से जुड़े कुछ मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र:**
  - भारत का वार्षिक औसत PM2.5 स्तर वर्ष 2021 में 58.1 µg/m3 (माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) तक पहुंच गया है।
  - मध्य और दक्षिण एशिया के **15 सबसे प्रदूषित शहरों में से 11 शहर भारत में हैं।**
  - **भारत का कोई भी शहर WHO** के वायु गुणवत्ता दिशा–निर्देशों में PM2.5 के लिए निर्धारित की गई 5 µg/m3 की सीमा का पालन नहीं कर पाया है।
  - **भारत के 48 प्रतिशत शहरों में PM2.5** का स्तर 50 µg/m3 से अधिक हो गया है। यह AQG में निर्धारित की गई सीमा से **10 गुना अधिक है।**

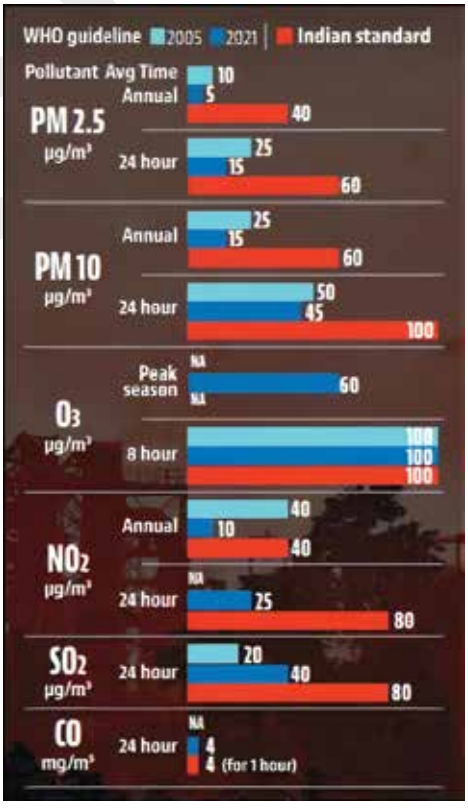

- **AQG के बारे में:**
  - AQG एक **साक्ष्य–आधारित उपकरण** है।
  - इसे नीति–निर्माताओं को **वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने हेतु** कानून और नीतियां बनाने में मार्गदर्शन करने के लिए तैयार किया गया है।
  - वर्ष 1987 से, WHO ने समय–समय पर स्वास्थ्य–आधारित AQG जारी किया है।
  - ये दिशा–निर्देश **कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं** हैं।
- **वायु प्रदूषण के कुछ प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं:**
  - वाहनों से उत्सर्जन,
  - बिजली उत्पादन,
  - खाना पकाने के लिए बायोमास का दहन,
  - फसलों को जलाना, आदि।
- **वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किये गए प्रमुख उपाय:**
  - राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Program: NACP) की घोषणा की गयी है,
  - भारत स्टेज (BS) उत्सर्जन मानकों को अपनाया गया है, आदि।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ताप विद्युत संयंत्रों (TPPs) में बायोमास को–फायरिंग/टेंडरिंग की प्रगति की समीक्षा की

- सितंबर 2021 में, **CAQM ने 11 ताप विद्युत संयंत्रों (TPPs) को यह निर्देश** था कि वे मुख्य रूप से कृषि अवशेषों से बने **बायोमास पैलेट्स के 5–10% मिश्रण** का इस्तेमाल करने का प्रयास करें। दूसरे शब्दों में, आयोग ने 11 **TPPs में को–फायरिंग** के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए बायोमास के इस्तेमाल का निर्देश दिया था। इससे खेतों में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने और ताप विद्युत संयंत्रों के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सहायता मिलेगी। साथ ही, इससे पराली का उचित जगह पर दहन या एक्स–सीटू उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
  - हालांकि, **CAQM की समीक्षा के अनुसार, 11 TPPs** में से केवल 7 में ही को–फायरिंग शुरू हुई है।
- **बायोमास को–फायरिंग के बारे में:**
  - **बायोमास को–फायरिंग** की प्रक्रिया में **कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ–साथ बायोमास का भी दहन** किया जाता है।
  - को–फायरिंग के लिए निम्नलिखित तीन अलग–अलग मॉडल्स या अवधारणाएं मौजूद हैं:
    - **डायरेक्ट को–फायरिंग:** इसके तहत बायोमास और कोयले का दहन एक ही भट्टी में किया जाता है।
    - **इनडायरेक्ट को–फायरिंग:** इसमें **बायोमास गैसीफायर** का उपयोग करके ठोस बायोमास को **एक स्वच्छ फ्यूल गैस में बदल दिया** जाता है। इसके बाद, कोयले के साथ **उसी भट्टी में** गैस का दहन किया जा सकता है।
    - **पैरलल को–फायरिंग:** इसके तहत पारंपरिक बॉयलर के अलावा, एक **पूरी तरह से अलग बायोमास बॉयलर स्थापित** किया जाता है।
  - **बायोमास को–फायरिंग के निम्नलिखित लाभ हैं:**
    - कम पूंजी लागत,
    - उच्च दक्षता,
    - इकोनॉमी ऑफ़ स्केल में वृद्धि या कम खर्चीली प्रक्रिया,
    - बड़े आकार वाले एवं पारंपरिक कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के बेहतर प्रदर्शन के कारण बिजली की लागत में कमी, आदि।

कोयला आधारित TPPs से वायु प्रदूषण कम करने की पहल:

- ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन, 2021
- फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) इकाइयों की स्थापना पर जोर
- एडवांस्ड अल्ट्रा–सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट
- कोयला आधारित TPPs के लिए संशोधित व कड़े उत्सर्जन मानक

RBI द्वारा जारी एक वर्किंग पेपर में, सरकार द्वारा बैंकों के पुनर्पूंजीकरण (recapitalization) से बैंकों को होने वाले लाभ और सामाजिक क्षेत्र में सरकारी व्यय में कमी के बीच संतुलन पर बल दिया गया है

- RBI के इस वर्किंग पेपर में **"ब्लैक स्वान इवेंट" को देखते हुए बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया है।**
  - **"ब्लैक स्वान"** एक ऐसी अप्रत्याशित घटना है, जिसके परिणाम आमतौर पर उम्मीद से परे और बहुत गंभीर होते हैं। **कोविड–19 महामारी ऐसी घटना का एक उदाहरण है।**
- बैंक पुनर्पूंजीकरण (Bank recapitalisation) का अर्थ है– **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में अधिक पूंजी डालना,** ताकि वे पूँजी की कमी से निपटने के साथ–साथ बेसल मानदंडों का पालन करने में सक्षम हो पाएं। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए **बेसल मानदंडों पर आधारित, पूंजी पर्याप्तता मानदंड (capital adequacy norms)** निर्धारित किये हैं। यह कदम मुख्य रूप से RBI के इन्हीं दिशा–निर्देशों को पूरा करने के लिए उठाया जाता है।
  - इस प्रक्रिया के तहत, **सरकार PSBs के नये शेयर खरीदकर या बॉण्ड जारी कर बैंकों में पूंजी डालती है।**
    - भारत सरकार PSBs में **सबसे बड़ी शेयरधारक** भी है।
  - ज्यादातर **सरकारी बैंक अक्सर NPAs (गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां) की समस्या से निपटने के लिए संघर्ष करते रहते हैं।** ऐसी स्थिति में सरकार समय–समय पर बैंकों को डूबने से बचाए रखने के लिए पुनर्पूंजीकरण की घोषणा करती रहती है।
    - इससे पहले, अक्टूबर 2017 और 2019 में, बैंक पुनर्पूंजीकरण कार्यक्रमों की घोषणा की गई थी।
- RBI के इस वर्किंग पेपर के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र:
  - इन पुनर्पूंजीकरण पैकेजों के माध्यम से कंपनियों या फर्मों को बेहतर और रियायती आजीवन लाभ देने के अपने फायदे हो सकते हैं। लेकिन, इस कारण **सामाजिक क्षेत्रों में सरकारी खर्च कम होने का नुकसान गरीब परिवारों को भुगतना पड़ सकता है।**
  - इसलिए वर्किंग पेपर में, सार्वजनिक नीति निर्माण में इस फायदे–नुकसान को **संतुलित करने की आवश्यकता पर बल** दिया गया है।

अन्य सुर्खियाँ

राजद्रोह और UAPA से जुड़े मामलों में गिरावट दर्ज की गई (Sedition and UAPA cases decline)

- **गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार,** पिछले छह सालों में पहली बार राजद्रोह के कुल मामलों में 35 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इससे जुड़े मामलों की संख्या वर्ष 2019 में 93 थी, जो घटकर वर्ष 2020 में 73 रह गई है।
  - **राजद्रोह को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A** के तहत परिभाषित किया गया है। यह धारा सरकार के प्रति नफ़रत फ़ैलाने वाले कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है। यह एक गैर–जमानती अपराध है।
- **गैर–कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA)** के तहत भी दर्ज मामलों में गिरावट देखी गई है। इसके तहत दर्ज मामलों की संख्या वर्ष 2019 में 1,226 थी, जो घटकर वर्ष 2020 में 796 हो गई है।
  - **UAPA, आतंकवाद रोधी कानून है।** इस कानून में बताए गए कुछ आधारों पर व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित किया जाता है।

फिनलैंडीकरण (Finlandization)

- फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने सुझाव दिया है कि **फिनलैंडीकरण,** यूक्रेन के मुद्दे पर तनाव को कम करने का एक तरीका हो सकता है।
- फिनलैंडीकरण, **मास्को और पश्चिमी देशों के बीच सख्त तटस्थता की नीति को संदर्भित करता है।** ज्ञातव्य है कि फिनलैंड ने शीत युद्ध के दौरान इसी नीति का पालन किया था।
  - तटस्थता का यह सिद्धांत, **मित्रता, सहयोग और पारस्परिक सहायता के समझौते (Agreement of Friendship, Cooperation, and Mutual Assistance)** में निहित है। फिनलैंड ने इस समझौते पर वर्ष 1948 में **USSR** के साथ हस्ताक्षर किये थे।
  - फिनलैंड ने सोवियत संघ के विघटन के बाद के रूस के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार, वर्ष 1948 की संधि ने वर्ष 1992 तक **हेलसिंकी–मास्को** संबंधों का आधार निर्मित किया।

ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र (BRICS Vaccine R&D Centre)

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से **ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र** और वैक्सीन सहयोग पर एक कार्यशाला का शुभारंभ किया है।
  - ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र को स्थापित करने का प्रस्ताव **वर्ष 2018 के जोहान्सबर्ग घोषणा–पत्र** में रखा गया था।
- **महत्व:**
  - यह केंद्र टीका अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों में उपलब्ध उपायों को एक साथ लाने में मदद करेगा।
  - यह टीकाकरण के मामले में WHO द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में ब्रिक्स देशों का समर्थन करेगा। WHO ने **वर्ष 2022 के मध्य तक विश्व की 70 प्रतिशत आबादी को** कोविड–19 टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission: SPMRM)

- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को **ग्रामीण विकास मंत्रालय** द्वारा वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। इसे **ग्रामीण क्षेत्रों में** शहरों में उपलब्ध सुविधाओं को पहुँचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
  - यह कार्यक्रम **समूह–आधारित (Cluster–based) एकीकृत विकास** पर केंद्रित है। इसमें **स्थानिक योजना (Spatial Planning)** पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- इसके अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में **रूर्बन समूहों** की पहचान की जाती है। ये समूह शहरीकरण के बढ़ते संकेतों अर्थात् **जनसंख्या घनत्व में वृद्धि, गैर–कृषि रोजगार के उच्च स्तर आदि को दर्शाते हैं।**
  - इस मिशन के तहत देश भर में **300 रुर्बन समूहों को विकसित किया जा रहा है।** इन समूहों का चयन आर्थिक वृद्धि के कुछ मानकों के आधार पर किया जा रहा है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM–GKAY)

- एक संसदीय स्थायी समिति ने खाद्य मंत्रालय को **PM–GKAY** के विस्तार के दायरे का अध्ययन करने का निर्देश दिया है।
- **PM–GKAY के बारे में:**
  - इसे कोरोना महामारी के कारण हुए आर्थिक व्यवधान के कारण कठिनाइयों का सामना करने वाले प्रवासियों और निर्धनों को **निःशुल्क खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए शुरू किया गया था।**
  - **PM–GKAY** के माध्यम से, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत **पंजीकृत 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलोग्राम निःशुल्क गेहूं/चावल** प्रदान किया जाता है।
  - हालांकि, **शुरुआत में इसे केवल तीन माह** की अवधि के लिए शुरू किया गया था, किन्तु बाद में इसे अलग–अलग चरणों के तहत विस्तार दिया गया है।

राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता (Marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction: BBNJ)

- संयुक्त राष्ट्र में एक विशेष व **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज** पर चर्चा की जा रही है। इसकी सहायता से राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे समुद्री क्षेत्रों को **साझे वैश्विक प्रबंधन और निगरानी के तहत लाया जा सकेगा।**
- **महत्वः**
  - राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों से परे समुद्री क्षेत्रों में **समुद्र का 95 प्रतिशत हिस्सा शामिल है।** ये क्षेत्र अमूल्य पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और खाद्य–सुरक्षा लाभ प्रदान करते हैं।
  - IUCN के अनुसार, इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह का लगभग आधा हिस्सा मौजूद है।
  - इन क्षेत्रों को इनकी जैव विविधता की दृष्टि से कमतर समझा गया है।

डेटा सेंटर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का पुनर्चक्रण (Recycling heat generated by data centres)

- डेटासेंटर एक भौतिक सुविधा है, जिसका उपयोग **संगठन अपने महत्वपूर्ण एप्लीकेशन्स और डेटा को भंडारित करने, डेटा को प्रॉसेस करने और उपयोगकर्ताओं को भेजने** के लिए करते हैं।
  - एक डेटासेंटर के गर्म गलियारों में दर्ज **तापमान 80 से 115 डिग्री फारेनहाइट** के बीच हो सकता है।
  - इस प्रकार डेटासेंटर्स का कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा होता है। इसके समाधान के लिए, **इनके द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त ऊष्मा को कैप्चर किया जा सकता है।** इसके **बाद सर्वर कूलिंग प्रक्रिया से स्वच्छ ऊष्मा को डिस्ट्रिक्ट हीटिंग सिस्टम में स्थानांतरित** किया जा सकता है।
- **माइक्रोसॉफ्ट** ने **फिनलैंड** में इस पर **पहला प्रोजेक्ट शुरू** करने की घोषणा की है।

"डस्टलिक" सैन्य अभ्यास (EX–DUSTLIK)

- 'डस्टलिक' **भारत और उज्बेकिस्तान** के बीच एक सैन्य अभ्यास है। इसका तीसरा संस्करण उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है।

नागा मिर्च (Naga Mircha)

- **नागालैंड की नागा मिर्च** को **'भूत जोलोकिया'** और **'घोस्ट पैपर'** के रूप में भी जाना जाता है। इसे **वर्ष 2008 में GI** टैग प्राप्त हुआ था।
  - नागा मिर्च, सोलानेसी फैमिली के कैप्सिकम वर्ग (genus) से संबंधित है।
  - इसे **विश्व की सबसे तीखी मिर्च** में से एक माना जाता है।
  - यह **स्कोविल हीट यूनिट्स (SHUs)** पर आधारित विश्व की सबसे तीखी मिर्च की सूची में लगातार शीर्ष पांच मिर्च–प्रजातियों में शामिल है।
  - **SHU**, मिर्च के तीखेपन (खाने के दौरान जलन) को मापता है। इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि कैप्साइसिन को कितनी बार चीनी के घोल द्वारा पतला करने की आवश्यकता होती है।
- इसका इस्तेमाल **आतंकवादियों और अन्य संदिग्ध अपराधियों को बेहोश या निष्क्रिय** करने के लिए **चिली ग्रेनेड** के रूप में भी किया जाता है।

सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

शहीद भगत सिंह

- राष्ट्र ने शहीद दिवस पर क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी 'भगत सिंह' को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
- **योगदानः**
  - वह वर्ष 1924 में, शचीन्द्रनाथ सान्याल के **हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन** के सदस्य बने। उन्होंने वर्ष 1925–26 में **नौजवान भारत सभा** की स्थापना की।
  - वे वर्ष 1928 में **हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA)** के सह–संस्थापक बने।
  - वह **सेंट्रल असेंबली बम कांड** से भी जुड़े थे और **लाहौर षडयंत्र मामले** में उनपर मुकदमा चलाया गया।
- उन्होंने "मैं नास्तिक क्यों हूँ" **(Why am I an atheist)** नामक शीर्षक से एक पुस्तक लिखी।
- भगत सिंह पर राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर सॉन्डर्स की हत्या के मामले में आरोप लगाए गए थे। इन तीनों वीरों को 23 मार्च 1931 को फाँसी दे दी गई।
- **प्रदर्शित जीवन मूल्यः** साहस, पराक्रम, आदि।

8468022022, 9019066066
www.visionias.in
/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC
दिल्ली लखनऊ जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद चड़ीगढ गुवाहटी